

- :: कार्यालय कलेक्टर, दुर्ग (छ.ग.) :: -

॥ आदिवासी विकास शाखा ॥

फैक्स नं. 0788-2323655, ई-मेल - actwd.durg@Gmail.com

क्रमांक/प्रति, 613 / आ.जा.क./6/पो.मै.छा./न.क्र.61/2023-24

दुर्ग, दिनांक 11/9/2023

कुलपति/अधिष्ठाता/प्राचार्य
शासकीय/अशासकीय/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय
इंजीनियरिंग कॉलेज/मेडिकल कॉलेज/नर्सिंग कॉलेज
पॉलीटेक्निक/आई.टी.आई.

.....जिला- दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- शिक्षा सत्र 2023-24 हेतु अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने बाबत।
संदर्भ :- आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर के पत्र पृ. क्रमांक/आ.ला.पो.मै.छा./162/2023-24/6830 नवा रायपुर, दिनांक 08.09.2023


—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तहत जिले में संचालित मान्यता प्राप्त समस्त शासकीय/अशासकीय विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक, आई.टी.आई. में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, postmatric-scholarship.cg.nic.in वेबसाइट पर शिक्षा सत्र 2023-24 हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के ऑनलाईन पंजीयन, प्रस्ताव लॉक, स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा निम्नानुसार तिथि निर्धारित की गई हैं :-

क्र.	प्रक्रिया	तिथि
1	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन/नवीनीकरण)	दिनांक 15.09.2023 से 10.10.2023 तक
2	अशासकीय संस्था द्वारा प्रस्ताव (Proposal) लॉक एवं शासकीय संस्था द्वारा स्वीकृति (Sanction) लॉक कर आवश्यक अभिलेख कार्यालय में जमा करने हेतु	दिनांक 17.10.2023 तक

टीप:- छात्रवृत्ति का भुगतान PFMS के माध्यम Aadhar आधारित भुगतान की जा रही है, अतः विद्यार्थी ध्यान रखें की उनका खाता एक्टिव हो एवं आधार से सीडिंग हो।


अतः संस्था प्रमुख अपने संस्था में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों को सूचित कर छात्रवृत्ति पूर्ण करावे। छात्रवृत्ति आवेदन की समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर निर्धारित तिथि तक इस कार्यालय में अभिलेख जमा करेंगे।


सहायक आयुक्त .. 11/9/23
आदिवासी विकास, दुर्ग

पृ. क्रमांक/प्रतिलिपि :- 613 / आ.जा.क./6/पो.मै.छा./न.क्र. 61/2022-23

दुर्ग, दिनांक 11/9/2023

आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ प्रेषित।


सहायक आयुक्त .. 11/9/23
आदिवासी विकास, दुर्ग

शिक्षा सत्र 2023–24 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन हेतु विद्यार्थियों द्वारा जमा किए जाने वाले अभिलेखों की सूची

(कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 3090 दिनांक 04.07.2022 एवं महालेखाकार छ.ग. रायपुर के पत्र क्रमांक 27 दिनांक 30.10.2021 के अनुसार संलग्न करने वाले दस्तावेज)

1. ऑनलाईन प्रिंटेड फार्म, जिसमें विद्यार्थी का स्वहस्ताक्षरित एक पासपोर्ट साईज फोटो लगा हुआ।
2. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी (छत्तीसगढ़ का) स्थायी जाति प्रमाण पत्र (सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र) की फोटोकापी (अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र, पटवारी, सरपंच, पार्षद वाला ना लगाये)
3. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र। (पटवारी, सरपंच, पार्षद वाला ना लगाये)
4. छत्तीसगढ़ निवासी प्रमाण पत्र की फोटोकापी।
5. कक्षा 10वीं अंकसूची की फोटोकापी।
6. पिछली कक्षा (शिक्षा सत्र 2022–23) की अंकसूची छायाप्रति।
7. बैंक पास बुक की फोटोकापी (जिसमें नाम, खाता नं., IFSC Code अंकित हो)
8. आधार कार्ड फोटोकापी।
9. फीस रसीद की फोटोकापी (जिस कोर्स/कक्षा में पढ़ रहे हैं उस कक्षा का कोई भी एक फीस रसीद)
10. यदि गेप होतो गेप सर्टिफिकेट।
- 11- An income declaration by the self-employed parents / guardian , stating definite income from all sources by way of an affidavit on non-judicial stamp paper. Employed parents are required to obtain income certificate from their employer and for any additional income from other sources, they would furnish declaration by way of an affidavit on non-judicial stamp paper .

शासकीय संस्था के द्वारा छात्रवृत्ति प्रस्ताव जमा करने हेतु दस्तावेजों की जानकारी

1. कव्हरिंग लेटर।
2. प्रमाण पत्र – 01 प्रति। (प्रारूप संलग्न है।)
3. लॉक सेंक्शन –01 सेट
4. शुल्क का विवरण/फीस विनियामक आयोग या उच्च विभाग से निर्धारित शुल्क विवरण का छायाप्रति।

अशासकीय संस्था के द्वारा छात्रवृत्ति प्रस्ताव जमा करने हेतु दस्तावेजों की जानकारी

1. कव्हरिंग लेटर।
2. मान्यता प्रमाण पत्र (संबद्धता) (वर्ष 2023–24 का)
3. प्रमाण पत्र – 01 प्रति। (प्रारूप संलग्न है।)
4. लॉक प्रपोजल – 01 प्रति।
5. विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन फार्म एवं समस्त आवश्यक अभिलेख (SC, ST, OBC लॉक प्रपोजल में अंकित नाम अनुसार विद्यार्थी के आवेदन को क्रमवार रखें)
6. फीस विनियामक आयोग या उच्च विभाग से निर्धारित शुल्क विवरण का छायाप्रति।